चौधरी

सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

राजा बाजार, पटना-८०००१४

निबंधन संख्या १५२ पट १९८८ ई०

१. नाम लेख्यकारी :— चौधरी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० पटना-८०००१४, एक सहकारी समिति जो कि बिहार एवं उड़ीसा सहयोग समिति अधिनियम १९३५ के अन्तर्गत निबंधित है तथा जिसका निबंधन संख्या १५२ (पट) वर्ष १९८८ में, द्वारा समिति के सचिव

श्री उमेश प्रसाद चौधरी

पिता का नाम **श्री राम प्रसाद चौधरी**

महल्ला राजा बाजार पत्रालय भेटनरी कॉलेज

थाना [illegible] जिला पटना जिन्हें इस विक्रय विलेख में लेख्यकारी प्रथम पक्ष का संज्ञा दी गयी है तथा जिसमें समिति के उत्तराधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी एवं विधि सम्मत् प्रतिनिधि, जो वर्त्तमान में हैं अथवा भविष्य में निर्वाचित/नियुक्त होंगे, भी सम्मिलित समझे जायेंगे ।

२. नाम लेख्यधारी :— श्री/श्रीमति ... विश्वनाथ सहाय ...

पिता/पति का नाम ... स्व० बैजनाथ सहाय ...

निवास स्थान ग्राम धुमुर ... पत्रालय मनोहरपुर

... थाना ... राजपुर ... जिला ... भोजपुर जो कि उक्त समिति के एक सदस्य हैं (जिन्हें इस विक्रय विलेख में लेख्यधारी द्वितीय पक्ष की संज्ञा दी गई है तथा जिनमें उक्त लेख्यधारी के कानूनी उत्तराधिकारी तथा विधि सम्मत् उपबन्धों के अधीन विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि जो वर्तमान में हैं या भविष्य में होंगे, सम्मिलित समझे जायेंगे)

३. लेख्य प्रकार :— निर्विवाद विक्रय विलेख ।

४. मूल्य :— [अंकों में] रु० ... ८७०००

शब्दों में रु० ... सतासी हजार रुपये मात्र

जिसक अद्धांश [अंकों में] ... ४३५००

[शब्दों में] रुपये ... तेंतालीस हजार पांच सौ रुपये मात्र

५. इस बिक्रय विलेख द्वारा :— (क) भूखंड संख्या ...

अंतिम रुप से हस्तांतरित भूखंड का विवरण ।

(ख) भूखंड का माप (डाइमेन्सन)

उत्तर से दक्षिण पूरब की ओर ...

उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर ...

पूरब से पश्चिम उत्तर की ओर ...

पूरब से पश्चिम दक्षिण की ओर ...

(ग) भूखंड का रकबा ... वर्ग फीट जो कि ...

कट्ठा ... २ ... धूर ... ९ ... धूरकी ... ९७ ... के बराबर है ।

Superb Builders Pvt. Ltd.

Director

(घ) भूखंड की चौहद्दी :–

उत्तर… … विजय सिंह वगैरह … …

दक्षिण उनाज खरीदा सीता रमणी चौधरी

पूरब … की गढ़ी भूमी में से … फीट रास्ता के छोड़ कर

पश्चिम… दुखू सिंह वगैरह … … …

जो कि ग्राम… …चमौता… …महल्ला… चमौता… …

टोला… … … … … … परगना फुलवारी थाना दानापुर

सर्वे थाना नम्बर… … ५… … … …तथा जो उप-निबंधन कार्यालय के

(जो जिला अवर निबंधन कार्यालय पटना के अन्तर्गत अवस्थित है)

अन्तर्गत स्थित है तथा जिसका तौजी नं०… ५५६ खाता नं०… ५०८

सर्वेखेसरा नम्बर… …८७८… …है तथा जो… … … … … … …

म्यूनिसिपैलिटी के परिक्षेत्र में है जिसका म्यूनिसिपल खेसरा नम्बर … … … …

सीट नं०… … … … … …वार्ड संख्या… … … … …है एवं जो लेख्यकारी

प्रथम पक्ष के अभिलेख में अंकित किया गया है। विदित हो कि बिहार सरकार के

राजस्व अभिलेख में जिसका लगान… …६५ पैसा रुपया अलावे सेस

निर्धारित है और जो… दानापुर अंचल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पड़ता है।

प्लाट नं० २
१ कूर आह मौजा सकलपुर
थाना को अंचल को सब रजिस्ट्री सीवान
थाना नं० ११० खाता नं० ८०६
खेसरा नं० रकबा ५ धुर
उ० अरवण सिंह
द० नाला
पु० मोहन सिंह
प० रास्ता।

बिक्रय विलेख संदर्भ :—

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष बिहार एवं उड़ीसा सहयोग समिति अधिनियम १९३५ के अन्तर्गत एक निबंधित गृह निर्माण सहकारी समिति है जिसका निबंधन संख्या १५२ (पैट) १९८८ है तथा जो कि पटना क्षेत्र के सम्बन्धित सहकारी निबंधन के अभिलेख में अंकित है जिसको निबंधित नियमावली में उसके मूल उद्देश्यों की चर्चा की गई है।

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने इस विक्रय विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड … … … … … … … … … … … … माध्यम से क्रय करते हुए अर्जित किया है तथा जिस पर-लेख्यकारी प्रथम पक्ष का सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार एवं शान्तिपूर्ण दखल कब्जा बिना किसी विघ्न-बाधा के भूखंड के क्रय की अवधि से ही प्राप्त है।

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने इस विक्रय विलेख के निष्पादन एवं निबंधन के सम्बन्ध में समुचित प्रस्ताव अपनी कार्यकारिणी के प्रस्ताव सं०… … … …दिनांक… … … … …द्वारा स्वीकृत करा लिया है तथा जिसे इस विक्रय विलेख के परिशिष्ट में यथावत उधृत भी किया गया है तथा जिसके अनुसार यह हस्तान्तरण इस विक्रय विलेख की कंडिका संख्या–२ में अंकित लेख्यधारी द्वितीय पक्ष के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

अब यह विक्रय विलेख साक्ष्य है :—

यह कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष ने लेख्यकारी प्रथम पक्ष द्वारा कंडिका सं०—५ में विवर्णित भूखंड की विवर्णित कीमत/मूल्य [अंकों में] रुपया…८,७७७ [शब्दों में] रूपया सत्तर हजार सात सौ मात्र आकर अंतिम भुगतान कर दिया है तथा जिसकी प्राप्ति को लेख्यकारी प्रथम पक्ष स्वीकार एवं अंगीकार करता है एवं कीमत/मूल्य की प्राप्ति के उपरान्त लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने इस विक्रय विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड को लेख्यधारी द्वितीय पक्ष के नाम से हस्तान्तरित करते हुए विक्रय कर दिया ताकि आज से लेख्यधारी द्वितीय पक्ष उक्त भूखंड के स्वामी तथा भोक्ता हुए और भविष्य में रहेंगे। अब लेख्यधारी प्रथम पक्ष ने लेख्यधारी द्वितीय पक्ष से निम्नलिखित शर्त अनुबंधित किया है :—

(क) यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को हस्तांतरित भूखंड पर दखल कब्जा सौंप दिया हैं और लेख्यकारी प्रथम पक्ष लेख्यधारी द्वितीय पक्ष के नाम हस्तान्तरित भूखंड पर उनके स्वामित्व एवं शान्तिपूर्ण दखल कब्जा को इस विक्रय विलेख के प्रयोजनार्थ शाश्वत काल तक बरकरार के निमित विधि संगत सभी प्रकार की कार्रवाई आवश्यकतानुसार करेगा ताकि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष अपने नाम से हस्तान्तरित भूखंड का उपयोग बिना किसी विघ्न-बाधा के एवं शान्तिपूर्ण ढंग से कर सके।

Superb Builders Pvt. Ltd.
Director

(ख) यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष अपनी समिति के सभी सदस्यों, जिनमें लेख्य धारी भी शामिल है के हित एवं उनकी सुविधाओं के विकास हेतु सदस्यों के खर्च पर इस विक्रय पत्र के निष्पादन के बाद भी सड़क एवं गली का निर्माण कार्य भूगर्भ नाला या नाला का निर्माण कार्य, पानी का नल, विद्युत लाईन, पार्क आदि की व्यवस्था समय-समय पर अन्य प्रकार की सुविधा के साथ, विकसित करेगा जिसके कीमत का भुगतान लेख्यधारी प्रथम पक्ष को यथा समय पर देना होगा ।

(ग) यह कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष लेख्यकारी प्रथम पक्ष को भविष्य में समिति के सम्बन्धित कारोबार से होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान/घाटा या भुगतान करने के लिये पूर्णतः सुरक्षित (इन्डम्नीफाइड) रखता है ।

(घ) यह कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष उक्त भूखड पर अपने खर्च पर समिति की नियमावली/विनिमय आदि के उपबंधों के अनुरूप आवसीय भवन का निर्माण करेगें एवं निर्मित भवन का उपयोग अपनी स्वेच्छा से अपने मनोनुकूल ढंग से करेगें एवं इसमें प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नही होगा । इसके अतिरिक्त लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित भूखंड तथा उसपर निर्मित आवासीय भवन के निमित्त अनुमान्य देय कर, टैक्स या अन्य प्रकार के शुल्क का भुगतान सक्षम पदाधिकारी को स्वतः करना पड़ेगा ।

(च) यह कि इस विक्रय विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड हर प्रकार के स्वत्व दाप तथा हर प्रकार से मुक्त और पाक एवं साफ है ।

(छ) यह कि यह हस्तान्तरण लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने लेख्यधारी द्वितीय के पक्ष में शाश्वत काल के लिये किया है ।

अब लेख्यधारी द्वितीय पक्ष लेख्यकारी प्रथम पक्ष के पक्ष में निम्नलिखित शर्तें अनुबंधित करते है :—

(क) यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष इस विक्रय विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड के सम्बन्ध में ऐसा कोई भी विलेख या में अन्य कोई कृत्य/कार्य नही करेगें जो कि सहकारिता अधिनियम सहयोग समिति के विधान तथा उक्त विधान अन्तर्गत बने नियमावली या विनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल हो ।

(ख) यह कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड का हस्तान्तरण मात्र इस समिति के सदस्य को ही करने के लिये प्राधिकृत रहेगें तथा उक्त प्रक्रिया से किए जाने वाले हस्तान्तरण की पूर्व सूचना एवं हस्तान्तरण के बाद विस्तृत सूचना लेख्यकारी प्रथम पक्ष अर्थात उक्त समिति के प्राधिकृत पदाधिकारी को विधिवत रूप से अधिक से अधिक एक माह पूर्व एवं एक माह बाद की अवधि में अवश्य भेज देगें ।

(ग) यह को अगर लेख्यकारी द्वितीय पक्ष उपर्युक्त कोई शर्त या अनुबन्ध का उल्लंघन किसी प्रकार से करेंगे तो लेख्यकारी प्रथम पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा कि वे लेख्यधारी द्वितीय पक्ष से अपने निजी खर्च पर इसका सुधार या संशोधन तदनुसार करा लें । लेकिन अगर लेख्यधारी द्वितीय पक्ष संशोधन का कार्य करने से टाल मटोल करते हों तो वैसी परिस्थिति में लेख्यकारी प्रथम पक्ष को इस विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड पर स्वतः कब्जा प्राप्त करने का और उसके निमित सुधार या संशोधन से संबधित प्रत्येक कार्य को करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा और उस हालत में लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को इसके निमित कोई वाद या विवाद किसी व्यवहार न्यायालय में या फौजदारी न्यायालय में उठाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

(घ) लेख्यधारी द्वितीय पक्ष ने लेख्यकारी प्रथम पक्ष के साथ यह करार किया है कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष ने आवासीय कोलोनी के सामूहिक हित एवं सुविधा के लिये वर्तमान में प्रदान किया है या भविष्य में व्यवस्था करेगा उसको संपन्न करने में लेख्यकारी प्रथम पक्ष का लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा एवं इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति या व्यवधान उपस्थित नही करना होगा ।

Superb Builders Pvt. Ltd.
Director

उपर्युक्त वर्णित संदर्भ एवं अंकित नियम शर्त एवं अनुबंध को मान्यता को स्वीकार करते हुए लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने यह विक्रय विलेख (स्वामित्व हस्तान्तरण पत्र) निम्नलिखित साक्षी के समक्ष समिति की मुहर लगाकर निष्पादित कर दिया कि जो भविष्य के लिये यथेष्ट प्रमाण रह सके एवं उभय पक्षों के काम में आ सके। प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय-विलेख की दो प्रति तैयार को गई है, जो एक दूसरे का सही-सही नकल है ।

साक्षी

१. हस्ताक्षर भोले कुमार चौधरी
तिथि 12-11-21
पता राजा बाजार पटना-14

लेख्यकारी-प्रथम पक्ष

१. हस्ताक्षर [illegible]
तिथि 12/11/21
पता राँची

२. हस्ताक्षर [illegible]
तिथि 12-11-21
पता [illegible]

लेख्यधारी-द्वितीय पक्ष

२. हस्ताक्षर
तिथि
पता

Superb Builders Pvt. Ltd.
Director

चौधरी
सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

राजा बाजार, पटना-८०००१४

निबंधन संख्या १५२ पैट १९८८ ई०

१. नाम लेख्यकारी :— चौधरी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० पटना-८०००१४, एक सहकारी समिति जो कि बिहार एवं उड़ीसा सहयोग समिति अधिनियम १९३५ के अन्तर्गत निबंधित है तथा जिसका निबंधन संख्या १५२ (पैट) वर्ष १९८८ में, द्वारा समिति के सचिव

श्री उमेश प्रसाद चौधरी

पिता का नाम श्री राम प्रसाद चौधरी

महल्ला राजा बाजार पत्रालय भेटनरी कॉलेज

थाना शास्त्री नगर जिला पटना जिन्हें इस विक्रय विलेख में लेख्यकारी प्रथम पक्ष की संज्ञा दी गयी है तथा जिसमें समिति के उत्तराधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी एवं विधि सम्मत् प्रतिनिधि, जो वर्त्तमान में हैं अथवा भविष्य में निर्वाचित/नियुक्त होंगे, भी सम्मिलित समझे जायेंगे ।

२. नाम लेख्यधारी :— श्री/श्रीमति सीता रमनी चौधरी

पिता/पति का नाम श्री राम लखन चौधरी

निवास स्थान उफ्रौल पत्रालय तिलरी

थाना पुनपुन जिला पटना जो कि उक्त समिति के एक सदस्य हैं (जिन्हें इस विक्रय विलेख में लेख्यधारी द्वितीय पक्ष की संज्ञा दी गई है तथा जिनमें उक्त लेख्यधारी के कानूनी उत्तराधिकारी तथा विधि सम्मत् उपबन्धों के अधीन विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि जो वर्तमान में हैं या भविष्य में होंगे, सम्मिलित समझे जायेंगे)

३. लेख्य प्रकार :— निर्विवाद विक्रय विवाद ।

४. मूल्य :— [अंकों में] रु० 1२५०००)

शब्दों में रु० एक लाख पचीस हजार रूपया मात्र

जिसक अर्द्धांश [अंको में] ६२५००)

[शब्दों में] रुपये बासठ हजार पांच सौ रुपये होते हैं ।

५. इस बिक्रय विलेख द्वारा :— (क) भूखंड संख्या

अंतिम रुप से हस्तांतरित भूखंड का विवरण ।

(ख) भूखंड का माप (डाइमेन्सन)

उत्तर से दक्षिण पूरब की ओर

उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर

पूरब से पश्चिम उत्तर की ओर

पूरब से पश्चिम दक्षिण की ओर

(ग) भूखंड का रकबा ... वर्ग फीट जो कि ...

कट्ठा ५ (पांच) धूर ० धूरकी ० के बराबर है ।

Superb Builders Pvt. Ltd.
Director

लाट नं०-2

(२)

एकछुर कास्त कायमी मौजा
अमलपुर थाना + अंचल + सब-
रजिस्ट्री दानापुर जिला पटना
थाना नं० 110, मौजी नं० 3०५
रकबा - 0.04 डेसमल
सर्वे नंबर कुमा है क्लोर रोपु हो
चौहद्दी -

उ० - अरुण सिंह
द० - मौजा
पु० - मोहन सिंह
प० - रास्ता

(घ) भूखंड की चौहद्दी :–

उत्तर… श्री विश्वनाथ सहाय … … …

दक्षिण… पूर्व ब्राहर रास्ता … … … …

पूरब… ब्रुथ की गई भूमि में सेलरीदकार आर फीट चौड़ा रास्ता जिस छोड़े

पश्चिम… कुशु सिंह पगौरह … … …

जो कि ग्राम… दानौत … महल्ला… दानौत (दानापुर)

टोला… … … … … … परगना… फुलवारी थाना… दानापुर

सर्वे थाना नम्बर… … ३० … … … …तथा जो उप-निबंधन कार्यालय के

(जो जिला अवर निबंधन कार्यालय पटना के अन्तर्गत अवस्थित है)

अन्तर्गत स्थित है तथा जिसका तौजी नं०… ३५६० …खाता नं०… ५८८…

सर्वेखेसरा नम्बर… ४८२ … … …है तथा जो… … … … … … …

म्यूनिसिपैलिटी के परिक्षेत्र में है जिसका म्यूनिसिपल खेसरा नम्बर … … … …

सीट नं०… … … … … … …बार्ड संख्या… … … … …है एवं जो लेख्यकारी

प्रथम पक्ष के अभिलेख में अंकित किया गया है। विदित हो कि बिहार सरकार के

राजस्व अभिलेख में जिसका लगान… १. रु० ३.६० पैसा रुपया अलावे सेस

निर्धारित है और जो… दानापुर …अंचल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पड़ता है।

बिक्रय विलेख संदर्भ :—

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष विहार एवं/उड़ीसा सहयोग समिति अधिनियम १९३५ के अन्तर्गत एक निबंधित गृह निर्माण सहकारी समिति है जिसका निबंधन संख्या १५२ (पैट) १९८८ है तथा जो कि पटना क्षेत्र के सम्बन्धित सहकारी निबंधन कें अभिलेख में अंकित है जिसको निबंधित नियमावली में उसके मूल उद्देश्यों को चर्चा की गई है।

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने इस विक्रय विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड … … … … … … … … … … … … … माध्यम से क्रय करते हुए अर्जित किया है तथा जिस पर–लेख्यकारी प्रथम पक्ष का सम्पूर्ण स्वत्याधिकार एवं शान्तिपूर्ण दखल कब्जा बिना किसी विघ्न-बाधा के भूखंड के क्रय की अवधि से ही प्राप्त है।

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने इस विक्रय विलेख के निष्पादन एवं निबंधन के सम्बन्ध में समुचित प्रस्ताव अपनी कार्यकारिणी के प्रस्ताव सं०… … … …दिनांक… … … … …द्वारा स्वीकृत करा लिया है तथा जिसे इस विक्रय विलेख के परिशिष्ट में यथावत उधृत भी किया गया है तथा जिसके अनुसार यह हस्तान्तरण इस विक्रय विलेख की कंडिका संख्या–२ में अंकित लेख्यधारी द्वितीय पक्ष के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

अब यह विक्रय विलेख साक्ष्य है :—

यह कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष ने लेख्यकारी प्रथम पक्ष द्वारा कंडिका सं०—५ में विवर्णित भूखंड की विवर्णित कीमत/मूल्य [अंकों में] रुपया… १२,५८०० …[शब्दों में] रूपया …बारह हजार पाँच सौ रुपया मात्र… चुकाकर अंतिम भुगतान कर दिया है तथा जिसको प्राप्ति को लेख्यकारी प्रथम पक्ष स्वीकार एवं अंगीकार करता है एवं कीमत/मूल्य की प्राप्ति के उपरान्त लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने इस विक्रय विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड को लेख्यधारी द्वितीय पक्ष के नाम से हस्तान्तरित करते हुए विक्रय कर दिया ताकि आज से लेख्यधारी द्वितीय पक्ष उक्त भूखंड के स्वामी तथा भोक्ता हुए और भविष्य में रहेंगे। अब लेख्यधारी प्रथम पक्ष ने लेख्यधारी द्वितीय पक्ष से निम्नलिखित शर्त अनुबंधित किया है :—

(क) यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को हस्तांतरित भूखंड पर दखल कब्जा सौंप दिया हैं और लेख्यकारी प्रथम पक्ष लेख्यधारी द्वितीय पक्ष के नाम हस्तान्तरित भूखंड पर उनके स्वामित्व एवं शान्तिपूर्ण दखल कब्जा को इस विक्रय विलेख के प्रयोजनार्थ शाश्वत काल तक बरकरार के निमित विधि संगत सभी प्रकार की कार्रवाई आवश्यकतानुसार करेगा ताकि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष अपने नाम से हस्तान्तरित भूखंड का उपयोग बिना किसी विघ्न-बाधा के एवं शान्तिपूर्ण ढंग से कर सके।

Superb Builders Pvt. Ltd.
Lalita Yadav

(ख) यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष अपनी समिति के सभी सदस्यों, जिनमें लेख्य धारी भी शामिल है के हित एवं उनकी सुविधाओं के विकास हेतु सदस्यों के खर्च पर इस विक्रय पत्र के निष्पादन के बाद भी सड़क एवं गली का निर्माण कार्य भूगर्भ नाला या नाला का निर्माण कार्य, पानी का नल, विद्युत लाईन, पार्क आदि की व्यवस्था समय-समय पर अन्य प्रकार की सुविधा के साथ, विकसित करेगा जिसके कीमत का भुगतान लेख्यधारी प्रथम पक्ष को यथा समय पर देना होगा ।

(ग) यह कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष लेख्यकारी प्रथम पक्ष को भविष्य में समिति के सम्बन्धित कारोबार से होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान/घाटा या भुगतान करने के लिये पूर्णतः सुरक्षित (इन्डेम्नीफाइड) रखता है ।

(घ) यह कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष उक्त भूखड पर अपने खर्च पर समिति की नियमावली/विनिमय आदि के उपबंधों के अनुरूप आवसीय भवन का निर्माण करेगें एवं निर्मित भवन का उपयोग अपनी स्वेच्छा से अपने मनोनुकूल ढंग से करेगें एवं इसमें प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नही होगा । इसके अतिरिक्त लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित भूखंड तथा उसपर निर्मित आवासीय भवन के निमित्त अनुमान्य देय कर, टैक्स या अन्य प्रकार के शुल्क का भुगतान सक्षम पदाधिकारी को स्वतः करना पड़ेगा ।

(च) यह कि इस विक्रय विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड हर प्रकार के स्वत्व दोष तथा हर प्रकार से मुक्त और पाक एवं साफ है ।

(छ) यह कि यह हस्तान्तरण लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने लेख्यधारी द्वितीय के पक्ष में शाश्वत काल के लिये किया है ।

अब लेख्यधारी द्वितीय पक्ष लेख्यकारी प्रथम पक्ष के पक्ष में निम्नलिखित शर्तें अनुबंधित करते है :—

(क) यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष इस विक्रय विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड के सम्बन्ध में ऐसा कोई भी विलेख या में अन्य कोई कृत्य/कार्य नही करेगें जो कि सहकारिता अधिनियम सहयोग समिति के विधान तथा उक्त विधान अन्तर्गत बने नियमावलो या विनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल हो ।

(ख) यह कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड का हस्तान्तरण मात्र इस समिति के सदस्य को ही करने के लिये प्राधिकृत रहेगें तथा उक्त प्रक्रिया से किए जाने वाले हस्तान्तरण की पूर्व सूचना एवं हस्तान्तरण के बाद विस्तृत सूचना लेख्यकारी प्रथम पक्ष अर्थात उक्त समिति के प्राधिकृत पदाधिकारी को विधिवत रूप से अधिक से अधिक एक माह पूर्व एवं एक माह बाद की अवधि में अवश्य भेज देगें ।

(ग) यह को अगर लेख्यकारी द्वितीय पक्ष उपर्युक्त कोई शर्त या अनुबन्ध का उल्लंघन किसी प्रकार से करेंगे तो लेख्यकारो प्रथम पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा कि वे लेख्यधारी द्वितीय पक्ष से अपने निजी खर्च पर इसका सुधार या संशोधन तदनुसार करा लें । लेकिन अगर लेख्यधारी द्वितीय पक्ष संशोधन का कार्य करने से टाल मटोल करते हों तो वैसी परिस्थिति में लेख्यकारी प्रथम पक्ष को इस विलेख की कंडिका ५ में विवर्णित भूखंड पर स्वतः कब्जा प्राप्त करने का और उसके निमित सुधार या संशोधन से संबधित प्रत्येक कार्य को करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा और उस हालत में लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को इसके निमित कोई बाद या विवाद किसी व्यवहार न्यायालय में या फौजदारी न्यायालय में उठाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

(घ) लेख्यधारी द्वितीय पक्ष ने लेख्यकारी प्रथम पक्ष के साथ यह करार किया है कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष ने आवासीय कोलोनी के सामूहिक हित एवं सुविधा के लिये वर्तमान में प्रदान किया है या भविष्य में व्यवस्था करेगा उसको संपन्न करने में लेख्यकारी प्रथम पक्ष को लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा एवं इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति या व्यवधान उपस्थित नही करना होगा ।

Superb Builders Pvt. Ltd.
Director

उपर्युक्त चर्चित संदर्भ एवं अंकित नियम शर्त एवं अनुबंध को मान्यता को स्वीकार करते हुए लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने यह विक्रय विलेख (स्वामित्व हस्तान्तरण पत्र) निम्नलिखित साक्षी के समक्ष समिति की मुहर लगाकर निष्पादित कर दिया कि जो भविष्य के लिये यथेष्ट प्रमाण रह सके एवं उभय पक्षों के काम में आ सके। प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय-विलेख की दो प्रति तैयार को गई है, जो एक दूसरे का सही-सही नकल है ।

साक्षी

१. हस्ताक्षर योगेन्द्र चौधरी
तिथि 12-11-07
पता राजा बजार, पटना-14

लेख्यकारी-प्रथम पक्ष

१. हस्ताक्षर [illegible]
तिथि 12/11/07
पता [illegible]

२. हस्ताक्षर [illegible]
तिथि १२-११-०७
पता [illegible]

लेख्यधारी-द्वितीय पक्ष

२. हस्ताक्षर
तिथि
पता

Superb Builders Pvt. Ltd.
Lalita Yadav
Director

14 फारम सं० 562

(देखें अभिलेख

ओदश पत्रक ता० सन् 200 -200

जिला

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० 1126 सन् 2007

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	ओदश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
10/8/06	श्री मती सविता रानी चौधरी पिता/पति श्री रामलखन चौधरी ग्राम० डुफरीन थाना पुनपुन जिला पटना ने निम्नलिखित जमीन का नामांकन हेतु आवेदन-पत्र दिया है, जिसे वसीका सं० 9245 दिनांक 12-11-90 द्वारा इन्होंने श्री चौधरी सहकारी गृह निर्माण वल्द श्री स्व० निल० पटना ग्राम० थाना जिला पटना से क्रय किया है। जमीन का विवरण	

मौजा	थाना सं०	तौजी सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
डुफरीन	20		500	478-81	

CO 340 23.8.06

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 14/8/06 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी

14/8/06 रा०कर्म० एवं अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बंध में स्थानीय तौर पर और राजस्व अभिलेखों से जाँच कराई गई। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित जमीन -

(1) रैयती है।

(2) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

(3) जमाबन्दी के नाम से कायम है।

Superb Builders Pvt. Ltd.
Director

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	(4) यह जमीन गेर मजरूआ आम एवं खास नहीं है। यह जमीन भूहदवन्दी के अर्न्तगत नहीं है। मूल जमाबन्दी रैयत/आम नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 21/8/06 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी	
21/8/06	मूल जामाबन्दी रैयत को निर्गत नोटिश/आम ईश्तहार का तामिला प्राप्त है। तामिला प्रतिवेदन रेखा। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि क्रेता के दखल-कब्जा में है। अंतः सूचना/रा० कर्म० एवं अंचल निरीक्षक के जाँ प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व संग्रहण के हित में बंटवारा/उत्तराधिकारी/दान-पत्र/बिक्रय-पत्र दाखिल खारीज करने की..... दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। लेखापति एवं संशोधित अंचल अधिकारी दानापुर अंचल अधिकारी	

Superb Builders Pvt. Ltd.
Director

दाखिल खा

मु० केश नम्बर- 1126 साल - 06-07 - दानापुर

ग्राम - धनौत राजस्व थाना नम्बर - 20 जिला - पटना

मु० मे जमीन रकबा - प्राप्त का जरिया - कोर्ट

जरशमन - केवाल - 9245 तिथि - 12-11-90

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 1987
चौधरी सरकारी स्टेट मार्फत सर्वश्री उमेश प्रसाद चौधरी	500	478	1.03	17-94	आं० आं० दानापुर

आवेदिका के आवेदन पत्र का ऑप किया, पत्रिका एवं पंजी III से मिलान किया, सही पाया पंजी III में विक्रेता का नाम दर्ज है। जमीन क्रेता के द्वारा क्रय से ही जमीन खरीदी है। कोई आम, मालिक एवं खास नहीं है। मुकदमा, झंझटवंदी से मुक्त है।

अतः आमकलाम पर क्रय का निर्णय का आता ओर आपत्ति नहीं होने दाखिल खारिज की कार्यवाही की जाय

मनोरंजक राय
20.11

ओम् सही पाया जाने के उपरांत 20 को की स्वीकृति हो जाय सकती है

बचा हुआ रकबा
NO 340 23.3.07

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
श्रीमती सीता देवी चौधरी पति- श्री राम लाखन चौधरी साः- उफरौल थाना- पुनपुन जिला- पटना	500	478	01 कॉपकट	5-00

Verified in my office

Reader 23/3/07

Authorised under Sec. 76 of the Act

सही 23.3.07

Superb Builders Pvt. Ltd.
Director

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

V

बि०स०मु०, पटना। फरद मालकी / फरद रैयती। नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकुनत। नम्बर।

नाम जमींदार। नाम मौजा मय थाना, नं० थाना नम्बर

फारबिसगंज | [illegible] | [illegible] चौधरी

जमाबन्दी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली।

1	[illegible]	चौधरी

मौजा का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल

मांग अबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल— (नकदी)	2.00				2.00	2.00
गुजारी (भावली)	0.50				0.50	0.50
सेस	1.00				1.00	1.00
*सुद	1.00				1.00	1.00
मुतफरकात	0.40				0.40	0.40
मीजान	4.90				4.90	4.90

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	बकाया				मोतालवा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल— (नकदी)				2.00	2.00	
गुजारी (भावली)				0.50	0.50	
सेस				1.00	1.00	
*सुद				1.00	1.00	
मुतफरकात				0.40	0.40	
मीजान अदायकारी				4.90	4.90	= 9.80

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — [illegible]

(2) नाम देहिन्दा — [illegible]

(3) कुल बकाया — [illegible]

दस्खत व तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*सारा महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु.(राजस्व) 1—2011

Superb Builders Pvt. Ltd.
Lalita Yadav
Director

प्ररूप संख्या–6
(नियम 8 देखिये)

बिहार सरकार No. 091643

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार

मृत्यु प्रमाण-पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की
धारा–12/धारा–17 के अन्तर्गत निर्गत ।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से प्राप्त की गई है, जो बिहार राज्य के पटना
जिले के पटना सदर तहसील (अंचल/प्रखण्ड) के पटना नगर निगम
स्थानीय क्षेत्र संबंधी रजिस्टर में है ।

नाम सीता रमणी चौधरी

लिंग स्त्री

मृत्यु की तारीख 09-01-2006

मृत्यु का स्थान एम० आई० जी०-322, कंकड़बाग, पटना-20

पिता/पति का नाम स्व० राम लखन चौधरी

स्थायी पता एम० आई० जी० 322, कंकड़बाग, पटना 20

रजिस्ट्रीकरण संख्या 275

रजिस्ट्रीकरण की तारीख 10-01-2006

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख 12/1/06

मुहर

12/1/06

बि०मा०मु०(सांख्यिकी) 6—III—7,13,000

Superb Builders Pvt. Ltd.
Director